

28.12.18


श्रीमती सावर कंदर बनाम राधे दनैरह

पत्रावली हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 02, 3के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 06.07.2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2010 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 06.07.2010 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते तलबी नोटिस अप्रार्थी संख्या 01, 02 हेतु नियत हैं। उक्त अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
अ.अ.अ.